

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

सुश्री सुमन बनाम रायमल खर्जर (कॉम)

किरम मुकदमा पी-पत्र 212 R-7A नं० 123 सन 2022

दिनांक	हुकम या कार्यवाही मय इनिशयल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील न जारी हुए
20-6-22	<p>बाद / प्रार्थनापत्र बाद जाँच प्रस्तुत हुआ दर्ज रजिस्टर किया जाकर विपक्षीगण को सम्मन नोटिस जारी किये जावें। पत्रावली दिनांक 19-7-22 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर माण्डल</p> <p>सुश्री सुमन बनाम रायमल खर्जर (कॉम) की प्रारंभिक कार्य से बाहर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 20-9-22 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
20/7/22	<p>सुश्री सुमन बनाम रायमल खर्जर (कॉम) की प्रारंभिक कार्य से बाहर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 29-11-22 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
29/7/22	<p>सुश्री सुमन बनाम रायमल खर्जर (कॉम) की प्रारंभिक कार्य से बाहर है / पदस्थित है। अतः पत्रावली दिनांक 14-3-23 को पेश हो।</p> <p>रीडर उपखण्ड अधिकारी माण्डल</p>	
14/3/23	<p>पत्रावली पेश हुई, अधिकाधिकार द्वारा न्यायिक कार्य को अवरुद्ध करने से पत्रावली दिनांक 14-3-23 को पेश हो।</p>	
8.5.23	<p>पत्रावली केम. पी.प. माण्डल को पेश हुई। आगामी दिनांक 8.8.23 को पेश हो।</p>	
8.8.23	<p>पत्रावली पेश हुई, वकील प्रार्थनापत्र उपस्थित, विपक्षीगण के सम्मन बाद शामिल होकर प्राप्त हुए जिसे शाहक डिपें गये। विपक्षी से 1 की धोर से 10 न. श्री अम्बालाल पाटल अधिकारी ने भी। अधिकार पत्र आयन्दा पेश करना चाहते हैं वास्ते</p>	<p>सुश्री सुमन बनाम रायमल खर्जर (कॉम)</p>

पत्रावली में पेश होने अधिकार फा मूलवादपत्र में एवं
विपक्षी सं. 2 लगायत 5 के विरुद्ध अग्रिम कार्यवाही हेतु
नियत दिनांक 25.8.23 को पेश हो।

25.8.23 पत्रावली पेश हुई, अभिवाचकण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/अधिकार रखने
से पत्रावली दिनांक 25.8.23 को पेश हो।

20.10.23 समुप फा कार्यवाही के लिए राजकीय
कार्य से बाहर है। प्रारंभिक है।
अतः पत्रावली दिनांक 9-2-24 को पेश हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी, माण्डल

9-2-24 पत्रावली पेश हुई, अभिवाचकण द्वारा
न्यायिक कार्य स्थगित/अधिकार रखने
से पत्रावली दिनांक 26.4.24 को पेश हो।

26.4.24 वकील प्रार्थिया द्वारा एक प्रार्थना पत्र पेश किये
जाने से पत्रावली सिंगल से तलेब की गई। प्रार्थना
पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। प्रार्थनापत्र
में बताया गया कि उक्त प्रकरण में प्रार्थीगण एवं
प्रतिवादीगण के मध्य आपसी राजीनामा हो चुका है
इसलिए प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध किसी प्रकार
का अग्रिम उपचार नहीं करना चाहते हैं। अतः प्रकरण
को इसी स्तर पर होप फरमाया जावे।

Handwritten signature and stamp area.

मैंने प्रस्तुत प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया तथा
पत्रावली का अध्ययन किया। उक्त प्रकरण में
प्रार्थीगण व विपक्षीगण के मध्य आपसी राजीनामा
हो चुका है। प्रार्थीगण विपक्षीगण के विरुद्ध अब आगे
कोई कार्यवाही नहीं चाहते हैं। अतः प्रकरण इसी स्तर
पर होप किया जाता है। पत्रावली फाइनल शुमार
होकर नम्बर से कम हो।

रीडर
उपखण्ड अधिकारी
माण्डल